



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 11, 2017/आश्विन 19, 1939

No. 262]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 2017/ASVINA 19, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2017

जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अवस्थित इकाइयों के लिए वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत बजटीय सहायता स्कीम।

फा. सं. 10(1)/2017-डीबीए-II/एनईआर.—भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में, भारत सरकार की विभिन्न औद्योगिक संवर्धन स्कीमों के तहत जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में संचालित मौजूदा पात्र विनिर्माण इकाइयों के लिए उस अवशेषी अवधि के लिए जिसके लिए प्रत्येक इकाई पात्र है, बजटीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु एक नयी स्कीम लायी जा रही है। यह नयी स्कीम, सद्भावना उपाय के रूप में, केवल उन इकाइयों जो पूर्व में उत्पाद शुल्क छूट/रिफंड स्कीमों के तहत लाभ लेने हेतु पात्र थी परंतु तत्कालीन स्कीमों के मामले में उनका अन्यथा कोई संबंध नहीं है, के लिए प्रस्तावित की जा रही है।

1.2 वे इकाइयां जो तत्कालीन स्कीमों के अंतर्गत पात्र थीं तथा वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई छूट अधिसूचनाओं, नीचे पैरा 2 के जरिए प्रचालन में थी, इस स्कीम के अंतर्गत पात्र समझी जाएंगी। ऐसी सभी अधिसूचनाएं 01.07.2017 से लागू नहीं रह जाएंगी तथा दिनांक 18.7.2017 की अधिसूचना सं. 21/2017 के अंतर्गत 18.7.2017 को रद्द समझी जाएंगी। यह स्कीम उस कर तक सीमित होगी जो केंद्रीय वस्तु तथा सेवा अधिनियम, 2017 तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवा अधिनियम, 2017 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 270 के संबंध में, केंद्रीय कर अथवा राज्यों के लिए एकीकृत कर के वितरण के बाद केंद्रीय सरकार को प्राप्त होता है।

2. तत्कालीन स्कीमों जो 18.7.2017 को प्रचालन में थी निम्नलिखित हैं:-

2.1 जम्मू एवं कश्मीर – समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्याएं 56/2002-सीई दिनांक 14.11.2002, 57/2002-सीई दिनांक 14/11/2002 तथा 1/2010-सीई दिनांक 6.02.2010।

2.2 हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड – समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्याएं 49/2003-सीई दिनांक 10.06.2003 तथा 50/2003-सीई दिनांक 10.06.2003।

2.3 सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य - समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या 20/2007-सीई दिनांक 25.04.2007।

3. संक्षिप्त नाम तथा प्रवर्तन

3.1 इस स्कीम को वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अवस्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए बजटीय सहायता स्कीम कहा जाएगा। उक्त स्कीम पात्र इकाइयों (पैरा 4.1 में यथापरिभाषित) के लिए 01.07.2017 से प्रचालन में आएगी तथा विशिष्ट वस्तु (पैरा 4.2 में यथापरिभाषित) के संबंध में प्रत्येक पात्र इकाई के लिए बाकी अवधि के लिए पैरा 4.3 में यथापरिभाषित लागू रहेगी। यह समग्र स्कीम 30.06.2027 तक वैध रहेगी।

3.2 उद्देश्य:

जीएसटी परिषद ने दिनांक 30.09.2016 को हुई अपनी बैठक में नोट किया था कि केंद्रीय अथवा राज्य सरकारों की किसी मौजूदा कर प्रोत्साहन स्कीम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष कर के भुगतान से छूट देना जीएसटी व्यवस्था के तहत जारी नहीं रहेगा तथा संबंधित इकाइयों को जीएसटी व्यवस्था के अनुसार कर का भुगतान करना होगा। परिषद ने ऐसी इकाइयों के लिए बजटीय सहायता स्कीमों को अधिसूचित करने का कार्य केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया। तदनुसार, केंद्रीय सरकार ने उपर्युक्त छूट अधिसूचना को समाप्त करने की वजह से आयी मुश्किलों को समझते हुए निर्णय लिया है कि वह इन करों के राज्यों के भाग का वितरण करने के बाद पात्र इकाइयों को अवशेषी अवधि के लिए इकाई द्वारा भुगतान किए गए वस्तु तथा सेवा कर की सीजीएसटी तथा/ अथवा आईजीएसटी के भाग के रूप में केंद्रीय सरकार के हिस्से की सीमा में भागों में प्रतिपूर्ति करेगी।

4. परिभाषाएं :

4.1 'पात्र इकाई' का आशय वह इकाई है जो 01 जुलाई, 2017 को आदित: छूट का लाभ अथवा इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं, उपर्युक्त पैरा 2 में सूचीबद्ध, के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से रिफंड की छूट का लाभ उठाने के लिए पात्र थी, जैसा भी मामला हो, तथा उपर्युक्त छूट 01 जुलाई, 2017 से पहले प्राप्त करती रही हों। इकाई की पात्रता इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित के संदर्भ में बजटीय सहायता हेतु दायर आवेदन पर आधारित होगी:

(क) पात्र विनिर्माण इकाई, जीएसटी के आने से पहले की यथास्थिति के अनुसार, केंद्रीय उत्पाद पंजीकरण संख्या: अथवा

(ख) एक व्यवसाय स्थल, जहां पर 01.07.2017 से पहले अधिसूचना सं. 49/2003-सीई, दिनांक 10.06.2003 तथा 50/2003-सीई, दिनांक 10.06.2003 की छूट के अंतर्गत निर्माण कार्य किए जा रहे थे तथा यह इकाई केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत पंजीकृत नहीं थी, के परिसर हेतु जीएसटी पंजीकरण।

4.2 'विशिष्ट वस्तु' का अर्थ है कि छूट अधिसूचनाओं के अंतर्गत आने वाला वह विशिष्ट सामान, पैरा 2 में सूचीबद्ध, जो उक्त अधिसूचनाओं के तहत छूट हेतु पात्र था तथा जिसे पात्र इकाई द्वारा निम्नलिखित उत्पाद शुल्क छूट के लाभ का फायदा उठाकर विनिर्मित किया जा रहा था:

(क) जीएसटी के आने से पहले यथामौजूद पंजीकरण संख्या के साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत परिसर; अथवा

(ख) एक व्यवसाय स्थल के रूप में जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत विनिर्माण परिसर जहां से उक्त माल को अधिसूचना सं. 49/2003-सीई, दिनांक 10.06.2003 तथा 50/2003-सीई, दिनांक 10.06.2003 के अंतर्गत बेचा जा रहा था।

4.3 'अवशेषी अवधि' का अर्थ है कुल अवधि में से वह बकाया अवधि जो 10 वर्ष से अनधिक हो, वाणिज्यिक उत्पाद के शुरू होने की तारीख से, पैरा 2 में सूचीबद्ध सम्बद्ध सूचना के तहत यथा-परिभाषित, जिसके दौरान पात्र इकाई विशिष्ट सामान के लिए छूट का लाभ उठाने हेतु पात्र होती। वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख का दस्तावेजी साक्ष्य, पैरा 5.7 के संदर्भ में प्रस्तुत करना होगा।

5. बजटीय सहायता की राशि का निर्धारण

5.1 योजना के तहत पात्र इकाइयों द्वारा विनिर्मित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए बजटीय सहायता की राशि निम्नलिखित का कुल योग होगी-

(i) केंद्रीय कर और एकीकृत कर के निविष्टि कर क्रेडिट के उपयोग के बाद केंद्रीय वस्तु और सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 49 की उप-धारा (1) के संबंध में इकाई द्वारा रखे गए नगद बही खाते में डेबिट के जरिए भुगतान किए गए केंद्रीय कर का 58% ।

(ii) केंद्रीय कर और एकीकृत कर के निविष्टि कर क्रेडिट के उपयोग के बाद एकीकृत माल और सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 20 के संबंध में इकाई द्वारा रखे गए नगद बही खाते में डेबिट के जरिए दिए गए एकीकृत कर का 29% ।

बशर्ते कि जहां निविष्टि को केंद्रीय वस्तु और सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 10 के तहत संयोजन योजना के अंतर्गत संचालनरत पंजीकृत व्यक्ति से अधिप्राप्त किया जाता है, राशि अर्थात् उपर्युक्त (i) और (ii) का कुल योग, उस प्रतिशत से कम किया जाएगा जो अधिप्राप्त की गई निविष्टि के कुल मूल्य में से संयोजन योजना के तहत अधिप्राप्त निविष्टि का प्रतिशत मूल्य है।

स्पष्टीकरण:-

स्पष्टीकरण-I

क	खंड (i) और (ii) के तहत कुल योग	200 रुपए
ख	अधिप्राप्त निविष्टि के कुल मूल्य में से संयोजन योजना के तहत अधिप्राप्त निविष्टि के मूल्य का प्रतिशत	20%
ग	उपर्युक्त (क) में से स्वीकार्य राशि	(200 का 200-20%) रुपए = 160 रुपए

स्पष्टीकरण-II

(क) (i) की गणना के बाद (ii) की गणना की जाएगी

(ख) इस योजना का लाभ उठाने के लिए, पात्र इकाई को सबसे पहले केंद्रीय कर और एकीकृत कर के निविष्टि कर क्रेडिट का उपयोग करना होगा तथा बकाया दायित्व, यदि कोई हो, का नकद भुगतान करना होगा तथा जहां यह शर्त पूरी नहीं होती, वहां प्रतिपूर्ति मंजूरी अधिकारी केंद्रीय कर और एकीकृत कर के मौजूदा क्रेडिट के लिए देय बजटीय सहायता की राशि को कम करेगा, जो कर के भुगतान में इस्तेमाल नहीं की गई।

5.2 उपर्युक्त 58% इस बात को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वर्तमान में वस्तु और सेवा कर का 42% राज्य सरकारों के हिस्से आता है।

5.3 इसके बावजूद, उपर्युक्त पैरा 2 के तहत सूचीबद्ध छूट अधिसूचनाओं के निरसन, राजस्व विभाग द्वारा जारी संबंधित अधिसूचनाओं के तहत सीमाएं, शर्तें और प्रतिबंध, जो 01.07.2017 से ठीक पहले मौजूद थे, इस योजना के तहत लागू रहेंगे। तथापि, संबंधित छूट अधिसूचना के तहत विशेष दर के निर्धारण की सुविधा से संबंधित प्रावधान इस योजना के तहत लागू नहीं होंगे।

5.4 इस योजना के अंतर्गत बजटीय सहायता का निर्धारण, तिमाही आधार पर किया जाएगा जिसके लिए दावे तिमाही आधार पर दायर किए जाएंगे नामतः जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर।

5.5 जांच में यदि यह पाया गया कि बजटीय सहायता के लिए कोई इकाई अपने उत्पादन को बढ़ा-चढ़ाकर बता रही है या कोई गलत घोषणा कर रही है तो उसे शेष अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा ऐसी इकाई उसे दी गई अतिरिक्त बजटीय सहायता को लौटाने के लिए जिम्मेदार होगी। निविष्टि कर क्रेडिट को छुपाने, गैर-पंजीकृत आपूर्तिकर्ता (जब तक कि जीएसटी पंजीकरण से विशेष छूट प्राप्त न हो) से उत्पाद खरीदने अथवा तृतीय पक्षकार उत्पादन संबंधी कार्य करने तथा गलत घोषणा के जरिए बजटीय सहायता की राशि बढ़ाने के लिए किए गए अन्य क्रियाकलापों को धोखाधड़ी माना जाएगा तथा कानून के तहत कार्रवाई के किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना आरंभ से इस योजना के तहत लाभों से वंचित कर दिया जाएगा। इकाइयों को गैर-पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं और सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत संयोजन योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे आपूर्तिकर्ताओं से की गई कुल अधिप्राप्ति की घोषणा करनी होगी।

5.6 इस योजना के तहत बजटीय सहायता प्रदान करना, अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन होगा।

5.7 इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पहली बार आवेदन करने वाले विनिर्माता को निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे:

(क) राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना छूट को प्राप्त करने के उचित समय पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय के अधिकार-क्षेत्र के उपायुक्त/सहायक आयुक्त के पास विनिर्माता द्वारा दायर किए गए विकल्प की प्रति;

(ख) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के प्रमाण के रूप में संबंधित उद्योग निदेशक द्वारा जारी दस्तावेज;

(ग) राजस्व विभाग द्वारा जारी छूट अधिसूचना के तहत हटाई गई वस्तुओं की पिछली मासिक/ तिमाही विवरणी की प्रति ;

(घ) अनुबंध 'क' के अनुसार एक बार जमा किया जाने वाला हलफनामा-सह-क्षतिपूर्ति बांड जो नीचे पैरा 9 के तहत पुनर्भुगतान योग्य राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है;

खंड (क) से (ग) में अपेक्षित ब्यौरे के प्रमाण के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज आयुक्त के अनुमोदन से स्वीकार किया जा सकता है।

5.8 इस योजना के प्रयोजन से, 'विनिर्माण' का अर्थ है किसी भौतिक वस्तु में परिवर्तन जिससे वह वस्तु एक विशेष सामान में बदल जाती है जिसका एक अलग नाम है अथवा एक नई वस्तु को अस्तित्व में लाना जिसका रासायनिक संयोजन अथवा आंतरिक संरचना अलग है। जहां मूल्य वर्धन के संबंध में दिया गया केंद्रीय कर और एकीकृत कर नीचे तालिका के कॉलम (4) में दर्शाए गए मूल्य वर्धन में निर्धारित केंद्रीय कर अथवा एकीकृत कर से ज्यादा है, वहां इकाई के मूल्य वर्धन की जांच-पड़ताल की जा सकती है:

तालिका

क्र.सं.	अध्याय	माल का विवरण	दर %	कालम (3) में प्रदर्शित माल के विनिर्माण संबंधी आदान का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	17 या 35	मोडिफाईड या स्टार्च या ग्लूकोज	75	मक्का, मक्का स्टार्च या टेपीयोका स्टार्च
2.	18	कोका बटर या पाउडर	75	कोका बीन्स
3.	25	सीमेंट	75	चूना पत्थर और जिप्सम
4.	25	सीमेंट क्लीकर	75	चूना पत्थर
5.	29	सभी माल	29	कोई भी माल
6.	29 या 38	वसा अम्ल या ग्लिसरीन	75	कच्चे पाम की गिरी, नारियल सरसों या तोरिया तेल
7.	30	सभी माल	56	कोई भी माल
8.	33	सभी माल	56	कोई भी माल
9.	34	सभी माल	38	कोई भी माल
10.	38	सभी माल	34	कोई भी माल
11.	39	सभी माल	26	कोई भी माल
12.	40	टायर्स, ट्यूब्स या फ्लेप्स	41	कोई भी माल
13.	72	लौह धातु जैसे कि फेरों क्रोम फेरो मैंगनीज या सिलिको मैंगनीज	75	क्रोम अयस्क या मैंगनीज अयस्क
14.	72 या 73	सभी माल	39	कोई भी माल, लौह अयस्क से पृथक
15.	72 या 73	लौह इस्पात उत्पाद	75	लौह अयस्क
16.	74	सभी माल	15	कोई भी माल
17.	76	सभी माल	36	कोई भी माल
18.	85	इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटिंग सेट्स और उसके कल पुर्जे	31	कोई भी माल
19.	कोई भी अध्याय	क्रम सं. 1 से 18 में उल्लिखित माल से पृथक माल	36	कोई भी माल

स्पष्टीकरण: राजस्व विभाग के दिनांक 6.2.2010 की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 01/2010-सीई में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के मूल्यवर्धन की गणना करने के लिए यथापरिवर्तन के साथ लागू होंगे।

5.9.1 यदि कोई संस्था उसी जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) जैसा कि वो पात्र इकाई में थी, पात्र इकाई के द्वारा विनिर्दिष्ट माल विनिर्माण के अलावा बहु-व्यावसायिक परिसरों से राज्य में अपने परिचालन करती है, तो पात्र इकाई वजतीय सहायता की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन के साथ-साथ सनदी लेखाकार द्वारा सत्यापित अतिरिक्त जानकारियां जैसे

आंकड़ों की प्राप्ति, पात्र इकाई द्वारा प्राप्त पूंजीगत माल या निविष्टियों में शामिल निविष्टी कर क्रेडिट, निविष्टियों की तुलना में पात्र इकाई द्वारा विनिर्मित विनिर्दिष्ट माल की मात्रा, दिए गए जीएसटीआईएन के तहत पंजीकृत द्वारा प्राप्त निविष्टी कर क्रेडिट प्रस्तुत करेगी।

5.9.2 जीएसटी के तहत, बहु-व्यावसायिक परिसरों वाली एक व्यावसायिक संस्था को एक राज्य में आमतौर पर एक ही पंजीकरण मिलता है और अगर ऐसा हो सकता है कि (पात्र इकाइयों) में से केवल एक क्षेत्र आधारित छूट योजना के तहत परिचालन कर रही हो। ऐसी स्थितियों में जहां एक ही पंजीकृत (जीएसटीआईएन) के (आपूर्ति करने वाली इकाई) के अन्य व्यावसायिक परिसरों से निविष्टियां प्राप्त होती हैं तो पात्र इकाई को आपूर्ति करने के लिए आपूर्ति करने वाली इकाई द्वारा प्राप्त एकीकृत या केन्द्रीय कर का निविष्टी कर क्रेडिट ब्यौरा भी सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि में प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे मामलों में क्षेत्राधिकार वाले उप/सहायक आयुक्त आपूर्ति करने वाली इकाई द्वारा उपयोग किए जाने वाले निविष्टियों से संबंधित निविष्टी कर क्रेडिट को घटाने के बाद बजटीय सहायता की प्रतिपूर्ति की मंजूरी देगा।

6. पात्र इकाई की जांच

6.1 इस योजना के तहत पात्र इकाई को बजटीय सहायता, विगत योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रत्येक राज्य के विस्तृत संवीक्षा के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा गठित दल द्वारा निरीक्षण के बाद दी जाएगी। निरीक्षण रिपोर्ट को निरीक्षण दल द्वारा केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के एसीईएस-जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा तथा बजटीय सहायता की मंजूरी से पहले पोर्टल पर केन्द्रीय कर उप/सहायक आयुक्त के क्षेत्राधिकार के लिए उपलब्ध होगा। बजटीय सहायता को केवल तभी जारी किया जाएगा जब इन दलों के निष्कर्ष उपलब्ध हो जाएंगे। बशर्ते कि जहां ऐसे निरीक्षण निष्कर्ष में विलंब होने की आशंका हो वहां केन्द्रीय कर उप/सहायक आयुक्त पात्र इकाई को अनन्तिम प्रतिपूर्ति की मंजूरी देंगे। ऐसी अनन्तिम प्रतिपूर्ति, 6 माह से अधिक की अवधि के लिए जारी नहीं होगी।

7. बजटीय सहायता की विधि

7.1 विनिर्माता सहायक केन्द्रीय कर आयुक्त या केन्द्रीय कर उप आयुक्त जैसा भी मामला हो, को निविष्टी कर क्रेडिट नियमावली, 2017 के तहत निविष्टी कर क्रेडिट का उपयोग करके देय कर की राशि के अलावा नगद कर भुगतान के लिए दावे की तिमाही से संबंधित कर भुगतान के बाद तिमाही के अन्त में आगामी माह की 15 तारीख तक बजटीय सहायता के भुगतान का आवेदन करेगा।

7.2 केन्द्रीय कर सहायक आयुक्त या उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, आवश्यक होने पर आवेदन की ऐसी जांच के बाद बजटीय सहायता की प्रतिपूर्ति मंजूर करेगा। स्वीकृत राशि की जानकारी आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी जाएगी। सीबीईसी के पीएओ बजटीय सहायता की अनुसंशा की गई प्रतिपूर्ति को मंजूरी देकर संवितरित करेंगे।

8. बजटीय प्रावधान और बजटीय सहायता का भुगतान

8.1 बजटीय सहायता, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बजट आवंटन से आहरित की जाएगी। डीआईपीपी इस तरह के बजटीय आवंटन को पीएओ, सीबीईसी के अधिकार-क्षेत्र में रखेगा। पात्र इकाइयों को एसीईएस-जीएसटी पोर्टल पर एक बार पंजीकरण प्राप्त करना होगा और एक अद्वितीय आईडी प्राप्त होगी जो कि योजना के तहत दावों के सभी प्रसंस्करणों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बजटीय सहायता की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र यूनिट द्वारा आवेदन, एसीईएस-जीएसटी पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा जो प्राप्त की गई अद्वितीय आईडी के संदर्भ में होगा और इसे बजटीय सहायता की स्वीकार्य राशि की मंजूरी के लिए केन्द्रीय कर के उपायुक्त या सहायक आयुक्त द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

8.2 इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के बाद, जिसमें निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में नकदी के लिए उस तिमाही के लिए सीजीएसटी/आईजीएसटी के भुगतान, जिसके लिए दावा किया गया है, के बाद पात्र इकाई द्वारा बजटीय सहायता के भुगतान हेतु आवेदन किया जाएगा।

8.3 आयुक्त की मंजूरी के साथ स्वीकृति प्राधिकारी (एसी/डीसी) उत्पादन के विभिन्न कारकों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए अतिरिक्त जानकारी (सम्मिलित लेकिन पिछले उत्पादन के रुझानों और उत्पादों को हटाने के लिए सीमित नहीं) मांग सकते हैं जिनमें प्रमुख इनपुट्स, बिजली की खपत सम्मिलित हैं और उसी के आधार पर निर्णय कर सकते हैं, यदि आपूर्ति की मात्रा सही ढंग से घोषित की गई है।

8.4 घोषित उत्पादन क्षमता की शुद्धता और उत्पादन या आपूर्ति का अधिक मूल्य निर्धारण सत्यापित करने के लिए, सीबीईसी द्वारा चिन्हित जोखिम मानकों के आधार पर चयनित चार्टर्ड अकाउंटेंट/लागत एकाउंटेंट द्वारा विशेष लेखा परीक्षा की जा सकती है। इस तरह की विशेष लेखापरीक्षा को केवल आयुक्त, सीजीएसटी के अनुमोदन से ही किया जाएगा।

8.5 क्षेत्राधिकारी उप आयुक्त या केन्द्रीय कर के सहायक आयुक्त द्वारा स्वीकृत राशि के आधार पर भुगतान के लिए सूची, एसीईएस-जीएसटी पोर्टल के माध्यम से केन्द्रीय कर के क्षेत्राधिकार कार्यालय के अधिकृत अधिकारी द्वारा ई-पीएओ, सीवीईसी को भेज दी जाएगी ताकि पात्र इकाइयों के बैंक खातों में सीधे भुगतान हो सके।

9. दावेदार/वसूली के लिए अदायगी और विवाद समाधान

9.1 अनुमोदित बजटीय सहायता योजना के तहत निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है और योजना/अधिसूचना के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, बजटीय सहायता को कभी भी स्वीकार्य नहीं माना जाएगा और इस योजना के तहत पिछली अवधि के लिए किए गए बजटीय सहायता के भुगतान सहित किसी भी अस्वीकार्य बजटीय सहायता की प्रतिपूर्ति और 15% प्रति वर्ष ब्याज की दर से वसूली की जाएगी। अतिरिक्त भुगतान, पुनर्भुगतान, वसूली या रिटर्न की वसूली या स्वैच्छिक समायोजन के मामले में, इकाई द्वारा 15% प्रतिवर्ष की दर से पुनर्भुगतान, वसूली या वापसी की तारीख तक की गणना की जाएगी, ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

9.2 जब इस योजना के तहत किसी भी राशि का लाभ, इस योजना में पात्रता शर्तों को पूरा करने या राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत निर्दिष्ट छूट के संबंध में गलत विवरण देकर उठाया गया पाया जाएगा तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और संबंधित सहायक आयुक्त या उपायुक्त, केन्द्रीय कर के कार्यालय द्वारा, जैसा कि मामला हो, निर्णय लिया जाएगा।

9.3 वसूली की प्रक्रिया: जहां किसी इकाई से किसी भी राशि की वसूली की जानी अपेक्षित है, सहायक आयुक्त या उपायुक्त, केन्द्रीय कर जैसा मामला हो, इकाई को निम्नानुसार सूचित करते हुए मांग नोट जारी करेंगे (i) इकाई से वसूल योग्य राशि और उस तिथि जिससे ब्याज देय है को और (ii) डीआईपीपी के खाते शीर्ष में मांग नोट के जारी होने के 30 दिनों के भीतर समस्त राशि को जमा कराने के लिए निर्माता को निर्देशित करना और जमा की गई राशि का सबूत उन्हें जमा करना।

9.4 जहां उपरोक्त के रूप में निर्दिष्ट समय के भीतर लाभार्थी द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो वसूली के लिए आवेदन, आवेदन जमा करने के समय आवेदनकर्ता के द्वारा जमा किए गए हलफनामा-सह-क्षतिपूर्ति बांड के संदर्भ में, वसूली के अन्य तरीकों के अतिरिक्त, कार्रवाई की जाएगी।

9.5 जहां सहायक आयुक्त या उपायुक्त, केन्द्रीय कर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर इकाई से कोई भी बजटीय सहायता और/या शेष ब्याज, जैसा मामला हो, डीआईपीपी के अधिकृत अधिकारी मांग नोट जारी करने की तारीख से 60 दिनों के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और अपेक्षित राशि को वसूलने के लिए जिले के संबंधित जिलाधिकारी / जिलाधिकारी / डिप्टी कमिश्नर को एक प्रमाण पत्र यह निर्दिष्ट करते हुए भेज सकते हैं कि यह भूमि राजस्व का बकाया था।

10. बाद में उत्पन्न होने वाले योजना से संबंधित अवशिष्ट मुद्दों पर डीआईपीपी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

11. सेविंग प्रावधान

11.1 योजना के समापन पर, भुगतान के लिए शेष दावों को योजना के प्रावधानों के अनुसार तय किया जाएगा, जबकि वसूली और विवाद समाधान तंत्र संबंधी कार्रवाई जारी रहेगी।

रविन्द्र, संयुक्त सचिव

अनुबंध 'क'

शपथ पत्र-सह-क्षतिपूर्ति बाण्ड

मैं/हम श्री-----सुपुत्र ----- (सभी नाम सम्मिलित करें) पदनाम----- कंपनी यूनिट नाम----- के रूप में एतद्वारा शपथ लेता हूं /लेते हैं और अपनी कंपनी----- (कंपनी/इकाई का नाम) की ओर से यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के द्वारा अधिसूचित बजटीय सहायता योजना के अंतर्गत दिनांक ----- को बजटीय सहायता की प्रतिपूर्ति के पंजीकरण हेतु आवेदन दायर किया गया है।

मैं/हम इस बात की पुष्टि करता हूं/करते हैं कि पात्र इकाई केन्द्रीय जीएसटी/एकीकृत जीएसटी के भुगतान पर विशिष्ट सामग्रियों का विनिर्माण और आपूर्ति कर रही है और इस दावे के तहत जीएसटीआईएन के अंतर्गत की जाने वाली कोई अन्य गतिविधि सम्मिलित नहीं होगी।

मैं/हम पुष्टि करता हूं/करते हैं और घोषणा करता हूं/करते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है, पात्र इकाई के द्वारा विनिर्मित विशिष्ट सामग्री के अलावा किसी अन्य सामग्री को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करते समय सम्मिलित नहीं किया जाएगा। समान जीएसटीआईएन के अंतर्गत पात्र विनिर्माण इकाई अथवा आपूर्तिकर्ता इकाई के द्वारा उपलब्ध कराई

गयी सामग्री पर आदान कर क्रेडिट को इस पात्र विनिर्माण इकाई के आदान कर क्रेडिट के आकलन के समय ध्यान में रखा जाएगा। डीआईपीपी के द्वारा अधिसूचित इस योजना की शर्तों के अनुसार कोई भी वजतीय सहायता जो देय नहीं है, के लिए पात्र इकाई दावा नहीं करेगी और जहां कहीं कोई अनुचित घोषणा पाई जाती है, इस योजना में निर्धारित किए गए शर्त के अनुसार सरकार के द्वारा भुगतान की गई राशि को मेरे/हमारे द्वारा ब्याज सहित वापस भुगतान किया जाएगा।

मैं/हम यह पुष्टि और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त सभी कथन मेरी/हमारी जानकारी और रिकार्ड के अनुसार सत्य हैं। मैं/हम मेरे/हमारे द्वारा किए गए उक्त विवरण के संदर्भ में किसी भी राजस्व संबंधी हानि, यदि कोई हो, के लिए भारत सरकार को क्षतिपूर्ति का वचन देता हूँ/देंते हैं।

दिनांक:

नाम:

स्थान:

हस्ताक्षर:

पदनाम:

पता:

टिप्पण:

1. यह क्षतिपूर्ति बाण्ड रु. 150/- के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
2. इस बाण्ड को नोटरी द्वारा प्राधिकृत किया जाना चाहिए।
3. सभी स्वामियों/साझेदारों/निदेशकों/प्राधिकृत हस्ताक्षरियों को अपने नाम और आवासीय पते के साथ इस बाण्ड पर हस्ताक्षर करने हैं। यदि यह बाण्ड प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है तो प्राधिकृत हस्ताक्षरी के पक्ष में मुख्तारनामे की प्रति भी संलग्न की जानी आवश्यक है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

- (i) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग और नीति आयोग
- (ii) अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्य, और अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव।
- (iii) अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों, और अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेशों के सचिव (उद्योग)।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2017

Subject : Scheme of budgetary support under Goods and Service Tax Regime to the units located in States of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North East including Sikkim.

F. No. 10(1)/2017-DBA-II/NER.—In pursuance of the decision of the Government of India to provide budgetary support to the existing eligible manufacturing units operating in the States of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim under different Industrial Promotion Schemes of the Government of India, for a residual period for which each of the units is eligible, a new scheme is being introduced. The new scheme is offered, as a measure of goodwill, only to the units which were eligible for drawing benefits under the earlier excise duty exemption/refund schemes but has otherwise no relation to the erstwhile schemes.

1.2 Units which were eligible under the erstwhile Schemes and were in operation through exemption notifications issued by the Department of Revenue in the Ministry of Finance, as listed under para 2 below would be considered eligible under this scheme. All such notifications have ceased to apply w.e.f. 01.07.2017 and stands rescinded on 18.07.2017 vide notification no. 21/2017 dated 18.07.2017. The scheme shall be limited to the tax which accrues to the

Central Government under Central Goods and Service Act, 2017 and Integrated Goods and Services Act, 2017, after devolution of the Central tax or the Integrated tax to the States, in terms of Article 270 of the Constitution.

2. The erstwhile Schemes which were in operation on 18.07.2017 were as follows:

2.1 Jammu & Kashmir- Notification nos. 56/2002-CE dated 14.11.2002, 57/2002-CE dated 14.11.2002 and 01/2010-CE dated 06.02.2010 as amended from time to time;

2.2 Himachal Pradesh & Uttarakhand- Notification nos. 49/2003-CE dated 10.06.2003 and 50/2003-CE dated 10.06.2003 as amended from time to time;

2.3 North East States including Sikkim- Notification no 20/2007-CE dated 25.04.2007 as amended from time to time.

3. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

3.1 The scheme shall be called Scheme of Budgetary Support under Goods and Services Tax (GST) Regime to the units located in State of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim. The said Scheme shall come into operation w.e.f. 01.07.2017 for an eligible unit (as defined in para 4.1) and shall remain in operation for residual period (as defined in para 4.3) for each of the eligible unit in respect of specified goods (as defined in para 4.2). The overall scheme shall be valid upto 30.06.2027.

3.2 OBJECTIVE:

The GST Council in its meeting held on 30.09.2016 had noted that exemption from payment of indirect tax under any existing tax incentive scheme of Central or State Governments shall not continue under the GST regime and the concerned units shall be required to pay tax in the GST regime. The Council left it to the discretion of Central and State Governments to notify schemes of budgetary support to such units. Accordingly, the Central Government in recognition of the hardships arising due to withdrawal of above exemption notifications has decided that it would provide budgetary support to the eligible units for the residual period by way of part reimbursement of the Goods and Services Tax, paid by the unit limited to the Central Government's share of CGST and/or IGST retained after devolution of a part of these taxes to the States.

4. DEFINITIONS

4.1 'Eligible unit' means a unit which was eligible before 1st day of July, 2017 to avail the benefit of ab-initio exemption or exemption by way of refund from payment of central excise duty under notifications, as the case may be, issued in this regard, listed in para 2 above and was availing the said exemption immediately before 1st day of July, 2017. The eligibility of the unit shall be on the basis of application filed for budgetary support under this scheme with reference to:

(a) Central Excise registration number, for the premises of the eligible manufacturing unit, as it existed prior to migration to GST; or

(b) GST registration for the premises as a place of business, where manufacturing activity under exemption notification no. 49/2003-CE dated 10.06.2003 and 50/2003-CE dated 10.06.2003 were being carried prior to 01.07.2017 and the unit was not registered under Central Excise.

4.2 'Specified goods' means the goods specified under exemption notifications, listed in paragraph 2, which were eligible for exemption under the said notifications, and which were being manufactured and cleared by the eligible unit by availing the benefit of excise duty exemption, from:

(a) The premises under Central Excise with a registration number, as it existed prior to migration to GST; or

(b) The manufacturing premises registered in GST as a place of business from where the said goods under exemption notification no. 49/2003-CE dated 10.06.2003 and 50/2003-CE dated 10.06.2003 were being cleared

4.3 'Residual period' means the remaining period out of the total period not exceeding ten years, from the date of commencement of commercial production, as specified under the relevant notification listed in paragraph 2, during

which the eligible unit would have been eligible to avail exemption for the specified goods. The documentary evidence regarding date of commercial production shall be submitted in terms of para 5.7.

5. DETERMINATION OF THE AMOUNT OF BUDGETARY SUPPORT

5.1 The amount of budgetary support under the scheme for specified goods manufactured by the eligible unit shall be sum total of –

(i) 58% of the Central tax paid through debit in the cash ledger account maintained by the unit in terms of sub-section(1) of section 49 the Central Goods and Services Act, 2017 after utilization of the Input tax credit of the Central Tax and Integrated Tax.

(ii) 29% of the integrated tax paid through debit in the cash ledger account maintained by the unit in terms of section 20 of the Integrated Goods and Services Act, 2017 after utilization of the Input tax credit Tax of the Central Tax and Integrated Tax.

Provided where inputs are procured from a registered person operating under the Composition Scheme under Section 10 of the Central Goods and Services Act, 2017 the amount i.e. sum total of (i) & (ii) above shall be reduced by the same percentage as is the percentage value of inputs procured under Composition scheme out of total value of inputs procured.

Explanation:-

Explanation-I

a	Sum total worked out under clause (i) & (ii)	Rs. 200
b	Percentage value of inputs procured under Composition Scheme out of total value of inputs procured	20%
c	Admissible amount out of (a) above	Rs(200-20% of 200) = Rs.160

Explanation- II

(a) Calculation of (ii) shall be followed by calculation of (i)

(b) To avail benefit of this scheme, eligible unit shall first utilize input tax credit of Central tax and Integrated tax and balance of liability, if any, shall be paid in cash and where this condition is not fulfilled, the reimbursement sanctioning officer shall reduce the amount of budgetary support payable to the extent credit of Central tax and integrated tax, is not utilized for payment of tax.

5.2 The above 58% has been fixed taking into consideration that at present Central Government devolves 42% of the taxes on goods and services to the States as per the recommendation of the 14th Finance Commission.

5.3 Notwithstanding, the rescinding of the exemption notifications listed under para 2 above, the limitations, conditions and prohibitions under the respective notifications issued by Department of Revenue as they existed immediately before 01.07.2017 would continue to be applicable under this scheme. However, the provisions relating to facility of determination of special rate under the respective exemption notifications would not apply under this scheme.

5.4 Budgetary support under this scheme shall be worked out on quarterly basis for which claims shall be filed on a quarterly basis namely for January to March, April to June, July to September & October to December.

5.5 Any unit which is found on investigation to over-state its production or make any mis-declaration to claim budgetary support would be made in-eligible for the residual period and be liable to recovery of excess budgetary support paid. Activity relating to concealment of input tax credit, purchase of inputs from unregistered suppliers (unless specifically exempt from GST registration) or routing of third party production or other activities aimed at enhancing the amount of budgetary support by mis-declaration would be treated as fraudulent activity and, without prejudice to

any other action under law may invite denial of benefit under the scheme ab-initio. The units will have to declare total procurement of inputs from unregistered suppliers and from suppliers working under Composition Scheme under CGST Act, 2017.

5.6 The grant of budgetary support under the scheme shall be subject to compliance of provisions relating to any other law in force.

5.7 The manufacturer applying for benefit under this scheme for the first time shall also file the following documents:

- (a) the copy of the option filed by the manufacturer with the jurisdictional Deputy Commissioner/ Assistant Commissioner of Central Excise officer at the relevant point of time, for availing the exemption notification issued by the Department of Revenue;
- (b) document issued by the concerned Director of Industries evidencing the commencement of commercial production
- (c) the copy of last monthly/quarterly return for production and removal of goods under exemption notification of the Department of Revenue.
- (d) An Affidavit-cum-indemnity bond, as per Annexure A, to be submitted on one time basis, binding itself to pay the amount repayable under para 9 below.

Any other document evidencing the details required in clause (a) to (c) may be accepted with the approval of the Commissioner.

5.8 For the purpose of this Scheme, “manufacture” means any change(s) in the physical object resulting in transformation of the object into a distinct article with a different name or bringing a new object into existence with a different chemical composition or integral structure. Where the Central Tax or Integrated Tax paid on value addition is higher than the Central Tax or Integrated Tax worked out on the value addition shown in column (4) of the table below, the unit may be taken up for verification of the value addition:

TABLE

Serial No.	Chapter	Description of goods	Rate (%)	Description of inputs for manufacture of goods in column (3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	17 or 35	Modified starch or glucose	75	Maize, maize starch or tapioca starch
2.	18	Cocoa butter or powder	75	Cocoa beans
3.	25	Cement	75	Lime stone and gypsum
4.	25	Cement clinker	75	Lime stone
5.	29	All goods	29	Any goods
6.	29 or 38	Fatty acids or glycerine	75	Crude palm kernel, coconut, mustard or rapeseed oil
7.	30	All goods	56	Any goods
8.	33	All goods	56	Any goods
9.	34	All goods	38	Any goods
10.	38	All goods	34	Any goods
11.	39	All goods	26	Any goods
12.	40	Tyres, tubes and flaps	41	Any goods
13.	72	Ferro alloys, namely, ferro chrome, ferro manganese or silico manganese	75	Chrome ore or manganese ore
14.	72 or 73	All goods	39	Any goods, other than iron ore

15.	72 or 73	Iron and steel products	75	Iron ore
16.	74	All goods	15	Any goods
17.	76	All goods	36	Any goods
18.	85	Electric motors and generators, electric generating sets and parts thereof	31	Any goods
19.	Any chapter	Goods other than those mentioned above in S.Nos.1 to 18	36	Any goods

Explanation: For calculation of the value addition the procedure specified in notification no 01/2010-CE dated 06.02.2010 of the Department of Revenue as amended from time to time shall apply mutatis-mutandis.

5.9.1 In cases where an entity is carrying out its operations in a State from multiple business premises, in addition to manufacture of specified goods by the eligible unit, under the same GST Identification Number (GSTIN) as that of the eligible unit, the eligible unit shall submit application for reimbursement of budgetary support alongwith additional information, duly certified by a Chartered Accountant, relating to receipt of inputs, input tax credit involved on the inputs or capital goods received by the eligible unit and quantity of specified goods manufactured by the eligible unit vis-a-vis the inputs, input tax credit availed by the registrant under the given GSTIN.

5.9.2 Under GST, one business entity having multiple business premises would generally have one registration in a State and it may so happen that only one of them (eligible unit) was operating under Area Based Exemption Scheme. In such situations where inputs are received from another business premises of (supplying unit) of the same registrant (GSTIN) by, the details of input tax credit of Central Tax or Integrated Tax availed by the supplying unit for supplies to the eligible unit shall also be submitted duly certified by the Chartered Accountant. The jurisdictional Deputy/Assistant Commissioner in such cases shall sanction the reimbursement of the budgetary support after reducing input tax credit relatable to inputs used by the supplying unit.

6. INSPECTION OF THE ELIGIBLE UNIT

6.1 The Budgetary Support under the Scheme shall be allowed to an eligible unit subject to an inspection by a team constituted by DIPP for every State to scrutinize in detail the implementation of the previous schemes. The inspection report shall be uploaded by the inspection team on ACES-GST portal of the Central Board of Excise & Customs (CBEC) and shall be made available to the jurisdictional Deputy/Assistant Commissioner of the Central Tax on the portal before sanction of the budgetary support. Budgetary support will be released only after the findings to these teams are available. Provided that where delay is expected in such findings of the inspection, the Deputy/ Assistant Commissioner of Central Taxes may sanction provisional reimbursement to the eligible unit. Such provisional reimbursement shall not continue beyond a period of six months.

7. MANNER OF BUDGETARY SUPPORT

7.1 The manufacturer shall file an application for payment of budgetary support for the Tax paid in cash, other than the amount of Tax paid by utilization of Input Tax credit under the Input Tax Credit Rules, 2017, to the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Taxes, as the case may be, by the 15th day of the succeeding month after end of quarter after payment of tax relating to the quarter to which the claim relates.

7.2 The Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Taxes, as the case may be, after such examination of the application as may be necessary, shall sanction reimbursement of the budgetary support. The sanctioned amount shall be conveyed to the applicant electronically. The PAO, CBEC will sanction and disburse the recommended reimbursement of budgetary support.

8. BUDGETARY PROVISION AND PAYMENT OF AMOUNT OF BUDGETARY SUPPORT

8.1 The budgetary support shall be disbursed from budgetary allocation of Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP), Ministry of Commerce & Industry. DIPP shall keep such budgetary allocation on the disposal of

PAO, CBEC. The eligible units shall obtain one time registration on the ACES-GST portal and obtain a unique ID which is to be used for all processing of claims under the scheme. The application by the eligible unit for reimbursement of budgetary support shall be filed on the ACES-GST portal with reference to unique ID obtained and shall be processed by the Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of the Central Tax for sanction of the admissible amount of budgetary support.

8.2 The application for imbursement of budgetary support shall be made by the eligible unit after the payment of CGST/IGST has been made for the quarter to which the claim relates, in cash in respect of specified goods after utilization of Input Tax credit, if any.

8.3 The sanctioning authority (AC/DC) with the approval of the Commissioner may call for additional information (inclusive but not limited to past data on trends of production and removal of goods) to verify the correctness of various factors of production such as consumption of principal inputs, consumption of electricity and decide on the basis of the same, if the quantum of supply have been correctly declared.

8.4 Special audit by the Chartered Accountant/Cost Accountant may be undertaken for units selected based on the risk parameters identified by CBEC in order to verify correctness of declared production capacity and production or overvaluation of supplies. Such special audit shall be undertaken only with the approval of the Commissioner, CGST.

8.5 The list of sanctions for payment, on the basis of amount sanctioned by the jurisdictional Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of the Central Tax shall be forwarded by the authorised officer of the jurisdictional Commissionerate of the Central Tax through the ACES-GST portal to e-PAO, CBEC for disbursal directly into the bank accounts of the eligible units.

9. REPAYMENT BY CLAIMANT/ RECOVERY AND DISPUTE RESOLUTION

9.1 The budgetary support allowed is subject to the conditions specified under the scheme and in case of contravention of any provision of the scheme/ notification, the budgetary support shall be deemed to have never been allowed and any inadmissible budgetary support reimbursed including the budgetary support paid for the past period under this scheme shall be recovered alongwith an interest @15% per annum thereon. In case of recovery or voluntary adjustment of excess payment, repayment, recovery or return, interest shall also be paid by unit at the rate of fifteen per cent per annum calculated from the date of payment of refund till the date of repayment, recovery or return.

9.2 When any amount under the scheme is availed by wrong declaration of particulars regarding meeting the eligibility conditions in this scheme or as specified under respective exemption notification issued by the Department of Revenue, necessary action would be initiated and concluded in the individual case by the Office of concerned Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Taxes, as the case may be.

9.3 **The procedure for recovery:** Where any amount is recoverable from a unit, the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Tax, as the case may be, shall issue a demand note to the unit (i) intimating the amount recoverable from the unit and the date from which interest thereon is due and (ii) directing the manufacturer to deposit the full sum within 30 days of the issue of the demand note in the account head of DIPP and submit proof of deposit to him/her

9.4 Where the amount is not paid by the beneficiary within the time specified as above, action for recovery shall be taken in terms of the affidavit –cum- indemnity bond submitted by the applicant at the time of submission of the application, in addition to other modes of recovery.

9.5 Where any amount of budgetary support and/or interest remains due from the unit, based on the report sent by the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Tax as the case may be, the authorized officer of DIPP shall, after the lapse of 60 days from the date of issue of the said demand note take required legal action and send a certificate specifying the amount due from the unit to the concerned District Magistrate/ Deputy Commissioner of the district to recover that amount, as if it were arrears of land revenue

10 Residual issues related to the Scheme arising subsequently shall be considered by DIPP, Ministry of Commerce & Industry whose decision shall be final and binding.

11. **SAVING CLAUSE**

11.1 Upon cessation of the Scheme, the unpaid claims shall be settled in accordance with the provisions of the Scheme while the recovery and dispute resolution mechanisms shall continue to be in force.

RAVINDER, Jt. Secy.

ANNEXURE-A

AFFIDAVIT – CUM – INDEMNITY BOND

I/We Shri _____ s/o _____ (add names) in my/our capacity of _____ (designation) of _____ (Company/Unit Name) hereby solemnly affirm and declare for and on behalf of _____ (company/unit name) that an application for registration for reimbursement of budgetary support has been filed on _____ under the Scheme of Budgetary Support notified by Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP).

I/We confirm that the eligible unit is manufacturing and supplying specified goods on payment of Central GST/ Integrated GST and the claim will not include any other activity being carried out under the same GSTIN.

I /We further affirm and declare, as stated above, goods other than specified goods manufactured by the eligible unit will not be taken into account while filing the application under the scheme. The input tax credit on the goods availed by the eligible manufacturing unit or the supplying unit under the same GSTIN will be taken into account while calculating the input tax credit of the eligible manufacturing unit. No amount of budgetary support which is not due as per the conditions of the scheme notified by DIPP shall be claimed by the eligible unit and where any mis-declaration is detected, the amount paid by the Government shall be paid back by me/us with interest as prescribed in the scheme.

I/We solemnly affirm and declare that whatever is stated above is true to the best of my/our knowledge and record. I/We further indemnify the Government of India to recover the amount, if any for any revenue loss which may occur (might have occurred) due to the above submission made by me/us.

DATE :

NAME:

PLACE:

SIGNATURE:

DESIGNATION:

ADDRESS:

Note:

1. This indemnity bond should be submitted on Rs.150/- Stamp Paper.
2. The bond is required to notarised.
3. Proprietors/Partners/Directors/Authorised Signatory has to sign the bond alongwith their name and residential address. In case the bond is signed by authorized signatory, copy of power of attorney in favour of authorized signatory needs to be enclosed.

Copy for information and necessary action to:

- (i) All Ministries/Departments of the Government of India and the NITI Aayog.
- (ii) Department of Revenue, (Central Board OF Excise and Customs, North Block, New Delhi.
- (iii) Chief Secretaries of the States of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim & Uttarakhnad .
- (iv) Secretary (Industries) of the States of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim & Uttarakhnad.